ग्राम पंचायत कोलंग, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कोलंग, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती कमला देवी	01.04.13 से 22.1.16
2	श्री देश राज	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री प्रताप सिंह	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत कोलंग के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	रोकड़ बही में राशि को दर्ज न करना	0.19
2	8	अनुदान राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना	0.16
3	10	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.16
4	11	अनुदान राशि का उपयोग न करना	14.39
5	12	प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय करना	0.72
6	14	स्टॉक/स्टोर की खरीद का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	6.12
7	15	मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान राशि	0.02
8	16	माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.29

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत कोलंग, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 07.11.2016 से 09.11.2016 एवं 15.11.2016 से 17.11.2016 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः—

वित्तीय वर्ष	आय की जाँच के लिए चयनित माह	व्यय की जाँच के लिए चयनित माह
2013—14	07/2013	10/2013
2014—15	10/2014	12/2014
2015—16	03/2016	07/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत कोलंग, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/— बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 162/2016 दिनांक 17.11.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोलंग से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः—

ग्राम पंचायत कोलंग द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख एवं प्रदत सूचनाओं अनुसार पंचायत की अवधि 04/2013 से 03/2016 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नविवरणानुसार हैः—

(क) स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)			व्यय (₹)		
		स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	योग (₹)	स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	अन्तिम शेष
2013—14	139733.55	26075.00	254166.00	419974.55	12555.00	202665.00	204754.55
2014—15	204755.55	15952.00	215162.00	435868.55	7292.00	234892.00	193684.55
2015—16	193684.55	18181.00	380171.00	592036.55	6886.00	237927.00	347223.55

दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष

रोकड़ बही अनुसार ₹347223.55

पास बुक अनुसार ₹300800.55

(हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, शाखा लड़भड़ोल, खाता संख्या 3151010014)

(ख) मनरेगा

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013—14	58715.41	1469700.00	1528415.41	1526994.00	1421.41
2014—15	1421.41	992041.00	993462.41	993462.41	0.00
2015—16	0-00	1558939.00	1558939.00	1558939.00	0.00

दिनांक 31.03.2016 को अन्तशेष

(i) रोकड़ बही शून्य

(ii) पास बुक शून्य

(हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, लड़भड़ोल, खाता सं0 31510105417)

(ग) विविध अनुदान (विकास कार्य):—

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013—14	166625	125291	291916	112717	179199
2014—15	179199	418304	597503	243904	353599
2015—16	353599	795747	1149346	492730	656616

दिनांक 31.03.2016 को अन्तशेष

रोकड़ बही ₹656616

पास बुक ₹656878

(हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, लड़भड़ोल, खाता सं0 31510105083)

(घ) वाटरशैड

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013—14	497680	14157	511837	394614	117223
2014—15	117223	1281	118504	91650	26854
2015—16	26854	623980	650834	449272	201562

दिनांक 31.03.2016 को अन्तशेष

रोकड़ बही	₹201562
पास बुक	₹251607

(हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, लड़भड़ोल, खाता सं0 31510109149)

(ङ) मिड हिमालया

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013—14	—	148511	148511	—	148511
2014—15	148511	192182	340693	215423	125270
2015—16	125270	286157	411427	405582	5845

दिनांक 31.03.2016 को अन्तशेष

रोकड़ बही	₹5845
पास बुक	₹5845

(हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, लड़भड़ोल, खाता सं0 31510110166)

नोटः— ग्राम पंचायत कोलंग की वित्तीय स्थिति का सम्पूर्ण विवरण इन की बैंक समाधान विवरणियों सहित इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "1 से 5"** में विस्तारपूर्वक दिया गया है।

5 रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करनाः—

ग्राम पंचायत कोलंग की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का सम्बन्धित बचत खातों के साथ सम्पूर्ण अंकेक्षण अवधि में मिलान नहीं किया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार इनका मिलान किया जाना अनिवार्य/अपेक्षित है।

यद्यपि अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अवधि में रोकड़ बहियों का सम्बन्धित बैंक बचत खातों के साथ मिलान कर दिया गया है, जिसका विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "1 से 5"** में दिया गया है, तथापि उपरोक्त नियमों की अवहेलना बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये भविष्य में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

6 रोकड़ बहियों का रख—रखाव नियमानुसार न करनाः—

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में न तो अथशेष व अन्तिम शेष से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज की जा रही है एवं न ही पंचायत की आय/प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ रोकड़ वहियों में दर्ज की जा रही है। पंचायत

द्वारा केवल मात्र प्राप्त आय एवं व्यय को ही दर्ज कर उसका शेष शून्य कर दिया जा रहा है, जो न केवल अनियमित व आपत्तिजनक है अपितु लेखांकन के सिद्धान्तों के विरूद्ध भी है, क्योंकि नियमानुसार रोकड़ बही के अथशेष में प्राप्त आय को जमा करने उपरान्त एवं व्यय की प्रविष्टियों को उससे कम किया जाता है तथा प्राप्त अन्तिम शेष को आगामी कार्यदिवस/पृष्ठ/माह के अथशेष के रूप में दर्शाया जाता है, किन्तु पंचायत द्वारा रोकड़ बही के लेखन में नियमानुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की पूर्ण अवहेलना की जा रही है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 एवं 10 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में अथशेष व अन्तिम शेष न दर्शाये जाने के कारण पंचायत की वित्तीय स्थिति (अंकेक्षण अवधि) दर्शाने/बनाने हेतु दिनांक 01.04.2013 को पंचायत के सम्बन्धित रोकड़ बही के बचत खाते में जमा शेष राशि को वर्ष 2013–14 को अथ शेष के रूप में दर्शाया गया है।

अतः पंचायत की अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों को नियमानुसार लिखा जाना सुनिश्चित करते हुये भविष्य में भी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

7 ₹0.19 लाख की राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करनाः–

ग्राम पंचायत कोलंग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत के निम्न वर्णित दो खाते हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, लड़भड़ोल शाखा में थेः–

	खाता सं0	**जमा राशि**	**टिप्पणी**
1	31510110167	1275	(दिनांक 30.03.2015 तक)
2	31510110504	17346	(31.03.2016 तक)
	योग	**18621**	

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि इन दोनों खातों में जमा राशि को पंचायत द्वारा किसी भी रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

अतः इन खातों में जमा राशि बारे वास्तविक स्थिति से अवगत करवाते हुये इसमें जमा राशि पंचायत की जिस निधि से सम्बन्धित है, उसकी रोकड़ बही में इन खातों में जमा राशि को दर्ज किया जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 ₹0.16 लाख की अनुदान राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना:–

ग्राम पंचायत कोलंग द्वारा प्राप्त अनुदान राशियों का सम्बन्धित बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में निम्नविवरणानुसार ₹16137 की अनुदान राशियों को रोकड़ बहियों में दर्ज नहीं किया था:–

क्र0सं0	रोकड़ बही का विवरण	दिनांक	राशि (₹)	टिप्पणी
1	स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान	07.09.2013	4675	
2	–यथोपरि–	19.06.2014	400	अनुदान ₹12555 के स्थान पर ₹12155 रोकड़ बही में दर्ज किया गया
3	विविध अनुदान (विकास कार्य)	28.05.2014	5091	
4	–यथोपरि–	18.09.2014	5971	
			₹16137	

अतः प्राप्त अनुदान राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करने अथवा कम दर्ज करने बारे कारणों को स्पष्ट करते हुये इन राशियों को यथाशीघ्र रोकड़ बहियों में दर्ज किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

9 बजट प्राक्कलन तैयार न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्रक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 पंचायत राजस्व की ₹0.16 लाख वसूली हेतु शेष:–

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.16 तक पंचायत के राजस्व ₹0.16 लाख की वसूली शेष थी:–

1 गृहकर

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2013–14	15475	6100	21575	17460	4115
2014–15	4115	6100	10215	–	10215
2015–16	10215	6100	16315	–	16315

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली शीघ्र करनी सुनिश्चित की जाए।

11 अनुदान ₹14.39 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–6** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1439183 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

12 प्राप्त अनुदान से ₹0.72 लाख का अधिक व्यय करनाः–

ग्राम पंचायत कोलंग द्वारा प्राप्त अनुदान राशियों उनके व्यय व अन्तिम शेष से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2016 को प्राप्त अनुदान राशियों से ₹71766 **(परिशिष्ट–6)** का व्यय अधिक कर दिया गया था। नियमानुसार व्यय को प्राप्त अनुदान राशि तक ही सीमित किया जाना अपेक्षित था एवं उससे अधिक व्यय नहीं किया जा सकता था।

अतः पंचायत द्वारा सम्बन्धित मद में प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय अनियमित व आपत्तिजनक है, जिस बारे में सम्पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त यह अधिक व्यय पंचायत द्वारा किस मद में से किया गया है, के बारे में आगामी अंकेक्षण पर सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु मामला

सम्बन्धित संस्था से उठाकर इसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

13 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/– व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में लाखों रूपये की राशि का व्यय विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर किया गया है, किन्तु इन समस्त निर्माण कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय की गई यह राशि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्माण कार्यों पर व्यय की गई इन समस्त राशियों के प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किए जाएं ताकि इन समस्त व्ययों की तदानुसार जाँच की जा सके।

14 ₹6.12 लाख के स्टॉक/स्टोर के क्रय का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत के चयनित मासों के व्यय वाउचरों व अन्य सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में ₹612161 के सामान/स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार निविदायें आमन्त्रित करने उपरान्त किया गया था, जिसका सम्पूर्ण विवरण **"परिशिष्ट–7"** में दिया गया है। किन्तु पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उक्त वर्णित क्रय स्टॉक/स्टोर का न तो स्टॉक रजिस्टर जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया एवं न ही इस क्रय सामग्री के आगामी निपटारे/वितरण से सम्बन्धित किसी प्रकार का अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया जिसके अभाव में उक्त वर्णित क्रय अनियमित व आपत्तिजनक है।

अतः इससे सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि उक्त क्रय को तदानुसार नियमित किया जा सके।

15 मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान की गई ₹0.02 लाख की राशि व अन्य अनियमितताओं के सन्दर्भ मेंः–

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2014–15 में मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी के रूप में ₹43428 का भुगतान निम्नविवरणानुसार किया गया हैः–

क्र0सं0	वा0 क्रमांक	दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	राशि (₹)	कार्य का नाम
1	53	12.12.14	2204, 2205	16.11.14 से 30.11.14	29722	क्रेट वाल रचाड़ी नाला
2	66	23.12.14	2778	02.12.14 से 15.12.14	13706	टैंक बलदेव सिंह, सरहूण
				योग	**43428**	

(क) उपरोक्त मस्ट्रोलों के विरूद्ध कार्य प्रगति माप पुस्तिका 5897 पृष्ठ 43 एवं 41 में क्रमशः ₹30040 एवं ₹13897 दर्शाई गई है। जाँच में पाया गया कि माप पुस्तिका में कार्य प्रगति को गणना हेतु Labour Enhancement 62% की दर से की गई है, जबकि मजदूरों को मजदूरी का भुगतान ₹154 प्रतिदिन/प्रति मजदूर की दर से किया गया है एवं इस प्रकार Labor Enhancement 62% के स्थान पर 54% की दर से दी जानी अपेक्षित थी।

अतः इस प्रकार उक्त कार्यों को माप पुस्तिका अनुसार 54% की दर से कार्य प्रगति क्रमशः ₹28555 (18542+10013) एवं ₹13212 (8579+4633) बनती थी एवं मजदूरी के रूप में इस प्रकार क्रमशः ₹1167 (29722–28555) व ₹494 (13706–13212) का अधिक भुगतान किया गया है, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) उक्त वर्णित कार्यों की माप पुस्तिका की जाँच में पाया गया कि कार्य प्रगति की गणना करते समय संविदाकार लाभ व ओवरहैड चार्जिज (CP+OH) के रूप में कम की जानें वाली 15% राशि को कम नहीं किया गया है, जबकि कुल कार्य प्रगति से 15% की राशि कम करके कार्य प्रगति दर्शाई जानी अपेक्षित थी, क्योंकि निर्माण कार्य विभागीय स्त्तर पर करवाये गये है। अतः इस चूक बारे भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए अन्यथा इस राशि की गणना कर इसकी वसूली भी सम्बन्धित से की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

16 मजदूरी के रूप में किये गये भुगतान ₹0.29 लाख से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ₹28809 का भुगतान मजदूरी के रूप में निम्न विवरणानुसार किया गया है।

क्र0सं0	रोकड़ बही का विवरण	वा0क्रमांक	दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	राशि (₹)	निर्माण कार्य
1	विविध अनुदान (विकास कार्य)	23	23.12..14	033391	01.05.13 से 30.05.13	8019	सामुदायिक भवन ध्वाल
2	मनरेगा	65	23.12.14	27702771	02.12.14 से 15.12.14	20790	क्रेटवाल नजदीक डिस्पैन्सरी
						28809	

पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा मजदूरों को किये गये उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित कार्य प्रगति की जाँच हेतु माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में मजदूरों द्वारा किये गये कार्य की प्रगति एवं वास्तव में किये गये कार्य हेतु इतनी मजदूरी देय थी अथवा नहीं? की जाँच वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः इन वाउचरों द्वारा किये गये कार्य/भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाए।
(ख) क्रम संख्या 1 में वर्णित मस्ट्रोल माह 05/2013 में करवाये गये कार्य से सम्बन्धित है, जबकि इसका भुगतान माह 12/2014 में किया गया है। अतः लगभग 1½ वर्ष तक मस्ट्रोल के भुगतान को लम्बित रखने बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाये।

17 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व अन्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विविधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1), 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
6	गैर खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)

7	लेखन सामग्री से भिन्न खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

18 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

20 निष्कर्षः— लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xi) 17 / 2017—खण्ड—1 —2518—2521 दिनाँकः .09.05.2017
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत कोलंग विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046